भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *12

जिसका उत्तर सोमवार, 01 दिसंबर, 2025/10 आग्रण, 1947 (शक) को दिया गया

अटल पेंशन योजना के तहत नामांकित लाभार्थी

*12. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अब तक कुल कितने लाभार्थी हैं और विगत पांच वर्षों के दौरान बिहार सहित देश में राज्य-वार कितने नए नामांकन हुए हैं;

(ख) सरकार द्वारा बिहार के ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में अटल पेंशन योजना को बढ़ावा देने और असंगठित क्षेत्र के कामगारों और अन्य पात्र आबादी के बीच इस योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या देश में विशेषकर बिहार में अटल पेंशन योजना में महिलाओं और छोटे किसानों की भागीदारी में कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) बिहार में अटल पेंशन योजना के कार्यान्वयन में बैंकिंग संस्थाओं और डाकघरों की भूमिका क्या है और उक्त योजना में लोगों को सक्रिय रूप से नामांकित करने वाली शाखाओं की संख्या कितनी है; और

(ङ) बिहार में अटल पेंशन योजना संबंधी खातों के नामांकन और रखरखाव में किन-किन चुनौतियों का सामना किया जा रहा है और सरकार द्वारा इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

“अटल पेंशन योजना के तहत नामांकित लाभार्थी” के संबंध में श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा पूछे गए दिनांक 01.12.2025 को उत्तर दिए जानेवाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.*12 के संबंध में विवरण

(क)से(ङ) अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का शुभारंभ दिनांक 09.05.2015 को किया गया था जिसका उद्देश्य सभी भारतीयों, विशेष कर गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सर्वसुलभ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का सृजन करना था । यह योजना बैंक और डाक घर में बचत खाता रखनेवाले 18 से 40 वर्ष के बीच की आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए है। योजना के अनुसार अभिदाता 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन लाभ प्राप्त कर सकता है। इसलिए एपीवाई के अंतर्गत पेंशन लाभ प्राप्त करना वर्ष 2035 से प्रारंभ होने की उम्मीद है। तथापि, दिनांक 31.10.2025 की स्थिति के अनुसार, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत सकल नामांकन 8,34,13,738 हैं। पिछले पांच वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार सहित देश में किए गए नये नामाकनों की संख्या दर्शानेवाली राज्य-वार सूची अनुबंध-1 में दी गयी है।

सरकार और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने बिहार के ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्र सहित देश भर में एपीवाई के प्रति जागरूकता और कवरेज बढ़ाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

i. जागरूकता पैदा करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में समय-समय पर विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं।
ii. 13 स्थानीय भाषाओं में एपीवाई अभिदाता सूचना विवरणिका।
iii. पात्र लाभार्थियों के बीच एपीवाई का प्रचार करने के लिए बैंक प्रतिनिधि(बीसी) और बैंक के फील्ड कर्मचारी, स्व सहायता समूह (एसएचजी) सदस्य, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) की बैंक सखियों के लिए वर्चुअल क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
iv. एपीवाई के बारे में जागरूकता और कवरेज फैलाने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन(एनआरएलएम) और एसआरएलएम कार्यरत हैं।
v. आसान ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग के लिए ई-एपीवाई, नेट-बैंकिंग, मोबाइल ऐप और बैंक के वेब-पोर्टल जैसे ऑनलाइन चैनलों को सक्रिय करना।
vi. अखिल भारतीय स्तर पर बैंकों और एसएलबीसी/एलडीएम के समन्वय से एपीवाई आउटरीच कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। पिछले पांच वर्ष के दौरान मुज़फ्फरपुर, पटना, भोजपुर और नलंदा सहित बिहार के विभिन्न जिलों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
vii. हाल ही में अखिल भारत स्तर पर पेंशन परिपूर्णता के लिए 8093 ऐसे वित्तीय समावेशन अभियान आयोजित किए गए थे जिनमें से 8093 ऐसे अभियान बिहार राज्य में आयोजित किए गए थे।

दिनांक 31.10.2025 की स्थिति के अनुसार, एपीवाई के अंतर्गत महिला सकल नामांकन 4,04,41,135 है जो कुल नामांकन का 48 प्रतिशत है। इसके अलावा, बिहार में एपीवाई के अंतर्गत महिला सकल नामांकन 42,07,233 है, जो बिहार में कुल नामांकन का 57 प्रतिशत है। बिहार सहित देश में किए गए लिंग-वार नामांकन का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है । इसके अतिरिक्त एपीवाई में छोटे किसानों की भागीदारी से संबंधित विनिर्दिष्ट आंकड़े इस योजना के अंतर्गत नहीं लिए जाते हैं।

एपीवाई को डाक विभाग (डीओपी) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, पेमेंट बैंकों, सहकारी बैंकों सहित बैंकिंग संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। ये संस्थान पीएफआरडीए के साथ प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस – एपीवाई (पीओपी-एपीवाई) के रूप में पंजीकृत हैं और एपीवाई के संवितरण और एपीवाई अभिदाताओं की सेवा के लिए जिम्मेदार हैं। दिनांक 31.10.2025 की स्थिति के अनुसार बिहार में कुल 7,153 बैंक शाखाएं और डाकघर की 461 शाखाएं लोगों को एपीवाई में नामांकन कराने में सहायता कर रही हैं।

*****

अनुबंध I

"अटल पेंशन योजना के तहत नामांकित लाभार्थी" के संबंध में दिनांक 01.12.2025 को उत्तर दिए जानेवाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *12

पिछले पांच वर्ष के दौरान दिनांक 31.10.2025 की स्थिति के अनुसार एपीवाई के अंतर्गत राज्यवार सकल नामांकन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (दिनांक 31.10.2025 की स्थिति के अनुसार)	स्थापना के बाद से सकल नामांकन
बिहार	9,36,541	10,07,521	10,77,242	10,18,964	5,63,955	73,44,480
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,400	3,060	2,640	1,938	1,461	14,740
आंध्र प्रदेश	4,53,361	5,53,828	5,87,038	5,67,687	3,47,084	41,48,294
अरुणाचल प्रदेश	4,289	4,702	6,176	6,331	4,071	39,432
असम	2,44,472	3,19,839	3,44,974	2,67,047	1,67,040	20,05,665
चंडीगढ़	7,679	11,104	10,772	10,705	8,260	82,380
छत्तीसगढ़	1,66,617	2,11,631	2,42,147	2,55,067	1,94,313	15,89,555
दिल्ली	1,30,260	1,35,754	1,23,630	1,07,551	72,363	9,85,351
गोवा	13,994	12,289	12,663	14,033	8,944	1,15,474
गुजरात	3,73,786	3,50,319	3,89,050	3,68,701	2,43,648	29,51,620
हरियाणा	2,25,190	2,99,591	2,60,372	2,58,456	1,73,002	18,60,377
हिमाचल प्रदेश	93,101	96,048	85,160	80,353	48,174	6,11,729
जम्मू और कश्मीर	28,495	39,926	39,565	42,967	30,785	2,69,712
झारखंड	3,25,835	3,56,675	3,50,253	3,94,426	2,32,626	24,92,572
कर्नाटक	5,40,405	5,88,750	5,86,194	6,42,178	4,51,811	47,45,625
केरल	1,64,890	1,96,633	2,01,194	2,59,030	1,86,393	16,24,963
लद्दाख	665	1,436	825	854	488	7,086
लक्षद्वीप	542	718	411	745	442	3,482
मध्य प्रदेश	5,59,023	6,69,067	7,59,388	7,00,942	4,43,859	49,12,077
महाराष्ट्र	8,47,346	14,06,970	14,56,984	13,10,776	7,02,441	80,42,402
मणिपुर	8,442	15,792	9,668	8,875	8,232	74,091
मेघालय	8,878	9,833	11,906	12,455	12,182	84,616
मिजोरम	3,104	2,612	4,339	6,073	5,729	33,356
नागालैंड	5,945	6,581	5,988	5,794	4,572	42,947
ओडिशा	3,77,216	3,84,326	4,43,605	4,54,036	3,12,681	31,20,266
पुदुचेरी	11,881	12,112	11,814	13,750	9,808	1,09,238
पंजाब	2,65,458	3,56,352	3,35,064	3,39,840	2,44,006	24,33,802
राजस्थान	6,19,257	6,45,884	6,51,338	6,17,314	3,54,371	43,54,034
सिक्किम	6,054	6,804	5,056	6,539	3,557	46,160
तमिलनाडु	6,32,761	6,75,639	6,93,896	6,77,981	5,01,496	54,30,604
तेलंगाना	2,87,694	3,53,584	3,80,961	3,22,643	2,18,469	26,18,889
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	3,855	4,581	4,351	4,381	2,682	43,324
त्रिपुरा	33,211	43,598	47,873	64,895	21,275	3,07,074
उत्तर प्रदेश	16,98,985	21,23,472	20,85,729	18,54,678	11,11,982	1,35,40,417
उत्तराखंड	1,15,370	1,46,571	1,34,360	1,10,370	69,542	8,91,202
पश्चिम बंगाल	7,14,477	8,77,783	9,30,864	9,29,952	5,61,513	64,36,702
सकल योग	**99,11,479**	**1,19,31,385**	**1,22,93,490**	**1,17,38,327**	**73,23,257**	**8,34,13,738**

स्रोत: पीएफआरडीए

*****

अनुबंध II

"अटल पेंशन योजना के तहत नामांकित लाभार्थी" के संबंध में दिनांक 01.12.2025 को उत्तर दिए जानेवाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या*12

योजना के प्रारंभ से दिनांक 31.10.2025 की स्थिति के अनुसार एपीवाई के अंतर्गत लिंग-वार सकल नामांकन

समग्र देश की डाटा					
वित्तीय वर्ष	**महिला**	**पुरुष**	**ट्रांस जेंडर**	**महायोग**	**महिला अनुपात**
2015-16	9,42,243	15,42,399	253	24,84,895	38%
2016-17	8,92,826	15,05,421	687	23,98,934	37%
2017-18	20,51,224	27,69,267	1,141	48,21,632	43%
2018-19	25,83,405	31,27,867	1,552	57,12,824	45%
2019-20	31,50,418	37,31,090	1,865	68,83,373	46%
2020-21	35,98,876	43,13,937	1,329	79,14,142	45%
2021-22	45,85,806	53,22,945	2,728	99,11,479	46%
2022-23	57,82,745	61,44,268	4,372	1,19,31,385	48%
2023-24	63,89,156	58,99,813	4,521	1,22,93,490	52%
2024-25	64,13,748	53,19,964	4,615	1,17,38,327	55%
2025-26 (दिनांक 31.10.2025 की स्थिति के अनुसार)	40,50,688	32,70,823	1,746	73,23,257	55%
सकल योग	**4,04,41,135**	**4,29,47,794**	**24,809**	**8,34,13,738**	**48%**

बिहार राज्य से संबंधित डाटा					
वित्तीय वर्ष	**महिला**	**पुरुष**	**ट्रांस जेंडर**	**महायोग**	**महिला अनुपात**
2015-16	1,01,126	1,51,616	18	2,52,760	40%
2016-17	1,17,274	1,37,692	31	2,54,997	46%
2017-18	2,59,721	2,22,473	59	4,82,253	54%
2018-19	2,54,239	2,14,912	51	4,69,202	54%
2019-20	3,04,556	2,56,803	84	5,61,443	54%
2020-21	3,91,268	3,28,282	52	7,19,602	54%
2021-22	5,26,705	4,09,740	96	9,36,541	56%
2022-23	5,75,052	4,32,331	138	10,07,521	57%
2023-24	6,56,008	4,21,084	150	10,77,242	61%
2024-25	6,41,070	3,77,720	174	10,18,964	63%
2025-26 (दिनांक 31.10.2025 की स्थिति के अनुसार)	3,80,214	1,83,691	50	5,63,955	67%
सकल योग	**42,07,233**	**31,36,344**	**903**	**73,44,480**	**57.28%**

स्रोतस्रोत पीएफआरडीए